न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल

निगरानी 602-PBR-15

पुनरीक्षण क्रमांक ——————.

फैसल खॉन पुत्र श्री मेहबूब खॉन,
आयु लगभग 25 वर्ष,
निवासी– मोती मस्जिद के पास, सुल्तानिया रोड
भोपाल. ...... पुनरीक्षणकर्ता

श्री विक्रम सिंह जार अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 11.3.15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। 11.3.15

16.3.15

विरूद्ध

1. कु0 कविता भगत पुत्री श्री जे.एस.भगत,
आयु वयस्क,निवासी–जूनागढ़ हाउस कोहेफिजा, भोपाल
2. समीर कुकरेजा पुत्र श्री गोपाल कुकरेजा
आयु वयस्क, निवासी–ई–22, साकेत नगर, इन्दौर
3. नवाब मंसूर अली खां पटौदी (मृतक)
द्वारा–वैद्य उत्तराधिकारी–
अ. श्रीमति शर्मिला टैगौर पत्नि स्व.श्री मसूंर अली खां पटौदी
ब. श्रीमति सोहा अली पुत्री स्व.श्री मसूंर अली खां पटौदी
स. सबा अली पुत्री स्व.श्री मसूंर अली खां पटौदी
द. सैफ अली खॉन पुत्र स्व.श्री मसूंर अली खां पटौदी
4. कमल भगत आ0 श्री वी.एस.भगत,
निवासी–18, कोलागढ़ देहरादून.
5. संजीव भगत आ0 श्री वी.एस.भगत,
निवासी–जूनागढ़ हाउस, कोहेफिजा, भोपाल ..2..

6. श्रीमति मीरा द त्ता पत्नि श्री सोम दत्ता
निवासी– मेहरोली रोड नइ दिल्ली
7. श्रीमति जसजीत शर्मा पत्नि श्री जे.एस.शर्मा
निवासी–5 सी कोटलेन सिविल लाईन्स,
नई दिल्ली.
8. रेणुका शर्मा पुत्री श्री के.एल.शर्मा,
निवासी–5 सी कोटलेन सिविल लाईन्स,
नई दिल्ली.
9. कु0 नयनतारा शर्मा पुत्री श्री के.एल.शर्मा
निवासी–5 सी कोटलेन सिविल लाईन्स,
नई दिल्ली.
10. रंजन के0 डाबर, राकेश डाबर, सूरज डाबर,
समस्त उत्तराधिकारी स्व0 श्री लालचंद डाबर,
निवासीगण– जूनागढ़ हाउस, कोहेफिजा, भोपाल .... अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता

पुनरीक्षण अपील प्रकरण क्रमांक 751/ए/11–12
कु0 कविता भगत आदि विरूद्ध नवाब मंसूर अली खां पटौदी
में मा0 अतिरिक्त आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा
पारित आदेश दिनांक 13/02/2015 के विरूद्ध ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 602 –पीबीआर/15 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–5–2015	आवेदक की ओर से श्री विक्रम सिंह जाट अभिभाषक एवं केबियकर्ता की ओर से श्री डी0डी0 मेधानी अभिभाषक उपस्थित । ग्राह्यता पर तर्क सुने गये । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 13.2.2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदक के वास्तव में हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । इस न्यायालय में भी तर्क के दौरान आवेदक की ओर से ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया कि वह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	